

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:-एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/17/168264-613 जयपुर, दिनांक:

17-9-18

1. समस्त संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

विषय:-दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल्स में अंकित करने बाबत।

प्रसंग:-निदेशालय के पूर्व आदेश 60025 दिनांक 17.04.18 एवं दिनांक 15.06.18 एवं 140550-904 दिनांक 03.08.18

विषयान्तर्गत एव प्रासांगिक प्रकरण में प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश दिनांक 08.04.15 तथा दिनांक 15.03.2017 एवं तदुपरान्त जारी निर्देशों के अनुसरण में विभागीय अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल्स पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल्स पर सभी राज्य स्तरीय अधिकारियों, उप निदेशक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (Target) उनके सम्मुख अंकित कर दिये गये हैं।

लेकिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल्स पर अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा माह अगस्त, 2018 तक भी निर्धारित समयावधि में दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के तय लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति ट्यूर मॉड्यूल्स पर न्यून/नगन्य अंकित की गई है जो कि गंभीरता एवं राज्यादेश की अनदेखी व अवहेलना करने का विषय है।

अतः सभी विभागीय अधिकारियों को पुनः हिदायत देते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप माह सितम्बर 2018 तक की क्रियान्विति तय समयानुसार ट्यूर मॉड्यूल्स पर अपने आई.डी. में अनिवार्यतः अंकित करें। अन्यथा निर्देशों की अवहेलना करने को गंभीरता से लिया जाकर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ कर दी जावेगी।


(सुषमा अरोडा)
निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/17/168614-15 जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17-9-18

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(रामावतार मीणा-प्रथम)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)